



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-05052026-272248
CG-CG-E-05052026-272248

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2104]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2026/वैशाख 14, 1948

No. 2104]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2026/VAISAKHA 14, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 4 मई, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ई.) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 2191(अ).— केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 989 तारीख 11/03/2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "बिलासपुर डिवीजन- जेसजी -बीएसपी सेक्शन पर चाम्पा यार्ड मेंकिमी.666 /18 - 20 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 338 के स्थान परआरयूबी का निर्माण " के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना क्रमांक 989 तारीख 11/03/2026 का लोकसदन (हिन्दी) छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस (हिन्दी)जांजगीर , टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) रायपुर , दैनिक भास्कर (हिन्दी) बिलासपुर ,में दिनांक 11.03.2026 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 कि धारा 20(ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंलग्न अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्रों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

(अ) रेल परियोजना "बिलासपुर डिवीजन- जेसजी -बीएसपी सेक्शन पर चाम्पा यार्ड में किमी.666 /18 -20 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 338 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण"के अधिग्रहण के लिए भूमि का संक्षिप्त विवरण.

1. ग्राम -चांपा , तहसील -चांपा जिला -जांजगीर -चांपा (छ.ग.)

क्र.	खसरा न.	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि स्वामी का नाम	प्राप्त किए जाने वाले भूखंडों में वृक्ष /मकान कुआँ आदि कोई है तो
1.	1648 शामिल 1652	शासकीय	पडती भूमि	0.036	शासकीय भूमि	-
2.	1783/2	निजी	पडती भूमि	0.018	आशीष गोयल पिता प्रदीप कुमार गोयल	-
3.	1770/4	निजी	पडती भूमि	0.022	विमला डागा पति एस के डागा	-
4.	1770/20	निजी	पडती भूमि	0.004	फर्म बाँके बिहारी अससोसिएट पार्टनर हनुमान कुमार पिता कलेसर प्रसाद देवांगन अशोक पिता गुलबचन्द अग्रवाल	-
5.	1770/29	निजी	पडती भूमि	0.012	अश्वनी पुत्र देवलाल कल्याणी पति अश्वनी	दो मंजिला पक्का मकान
6.	1770/25	निजी	पडती भूमि	0.006	आरिफ़ हुसैन जाकिर हुसैन नासिर हुसैन पिता नजाकत हुसैन	दो मंजिला पक्का मकान
7.	1771/13/क	निजी	पडती भूमि	0.006	रंजना तिवारी पिता शंकर प्रसाद तिवारी	एक मंजिला पक्का मकान
कुल भूमि (चाम्पा)				0.104हे.		

[फा. सं. डीवाई.सी.ई./जीएसयू/बीएसपी/आरयूबी/एलसी-338 /भूमि अधिग्रहण /20A/15]

संजय बा नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)
NOTIFICATION

Bilaspur, the 4th May, 2026

NOTIFICATION UNDER SECTION 20E OF THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 2191(E).— Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number 989, dated 11/03/2026, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **“Bilaspur Division - Construction of RUB in lieu of Manned LC No.338 at km 666/18-20 in CHAMPA YARD on JSG-BSP section”** in the state of Chhattisgarh.

And, whereas, the substance of the said notification Number 989, dated 11/03/2026, was published in the daily newspapers Chhattisgarh (Hindi) Janjgir, Times of India (English) Raipur, Dainik Bhaskar (Hindi) Bilaspur edition on 11.03.2026 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act,

And whereas, no objection was received within the set time period.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section I of Section 20E of the said Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances,

A. “Bilaspur Division - Construction of RUB in lieu of Manned LC No.338 at km 666/18-20 in CHAMPA YARD on JSG-BSP section” Brief description for the acquisition.

1. Village Name- Champa, Tehsil – Champa, District – Janjgir – Champa (C.G)

Si. No.	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (In Hect)	Name of Land Owner
1	1648 शामिल 1652	Private	Fallow	0.036	Government Land
2	1783/2	Private	Fallow	0.018	Ashish Goyal S/O Pradeep Kumar Goyal
3	1770/4	Private	Fallow	0.022	Vimala Daga W/O S.K. Daga
4	1770/20	Private	Fallow	0.004	Farm Banke Bihari associate Partner Hanuman Kumar Father kalesar prasad Dewangan Ashok Father Gulabchand Agrawal
5	1770/29	Private	Fallow	0.012	Ashvani Son Devlal, Kalyani Husband Ashvani
6	1770/25	Private	Fallow	0.006	Aarif Husain, Jakir Husain, Nasir Husain Father Najakat Husain
7	1771/13/क	Private	Fallow	0.006	Ranjana Tiwari, Father Shankar Prasad Tiwari
Total Land (Champa)				0.104 Hector	

[F. No. DY. CE/GSU/BSP/RUB/LC-338/Land acquisition /20A/15]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C